



आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश - 480001

Email-ccfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No 07162-245470

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश:-

क्रमांक / 175

छिंदवाड़ा, दिनांक / 28.07.2022

वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव महादेवपुरी भूमिगत कोयला खदान रकबा 166.41 हे. वे.को.फी. लिमि. पेंच क्षेत्र परासिया हेतु पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल का होकर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि 4.00 हे पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत परासिया वन परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक पी 721 बी की प्रस्तावित की गयी है, उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रोजेक्ट की मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार, दिनांक 3-9-2003 (बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स - भाग -2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत तकनीकी स्वीकृति निम्न उल्लेखित नियमों/शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना/कार्य का नाम	कार्यस्थल का नाम/कक्ष क्रमांक	कार्य का रकबा (हे.)		प्रोजेक्ट की अवधि	प्राक्कलित राशि (लाख में)
				घेराव क्षेत्र	रोपण क्षेत्र		
पश्चिम छिंदवाड़ा	परासिया	महादेवपुरी भूमिगत कोयला खदान रकबा 166.41 हे. भूमिगत कोयला खदान में उपरीतल 1.832 हे. के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 4.00 हे. भूमि परासिया वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 721 बी में 4.00 हे. की प्रोजेक्ट रिपोर्ट	परासिया वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 721 बी में 4.00 हे. जिला छिंदवाड़ा	4.00	4.00	11 वर्ष	42.75 (बयालिस लाख पचहत्तर हजार रु.)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित महादेवपुरी भूमिगत कोयला खदान रकबा 166.41 हे. भूमिगत कोयला खदान की वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भूमि व्यपवर्तन की भारत शासन से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की शर्त पर तकनीकी स्वीकृति मान्य होगी।
- (2) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावे।
- (3) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (4) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।
- (5) यह केवल तकनीकी स्वीकृति मात्र है प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध होने पर ही कार्य करायेंगे।
- (6) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी करायेंगे।
- (7) कार्य प्रारंभ के पूर्व तिस्तुत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेंगे।
- (8) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत ही कराये जायें। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- (9) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हो।
- (10) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7,9,10 एवं 11 के भंडार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भंडार क्रय नियमों के अंतर्गत सनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग नियम अथवा भारत सरकार के गवर्मेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अंदर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- (11) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंड्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

- (12) प्रस्तावित कार्य का वनमंडलाधिकारी/उपवनमंडलाधिकारी/वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमंडलाधिकारी, 50% उपवनमंडलाधिकारी एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- (13) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी।
- (14) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृति की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- (15) वनमंडलाधिकारी सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किसी योजना के तहत कार्य तो नहीं कराया गया है।
- (16) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरान्त स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- (17) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावें।
- (18) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, MIS पोर्टल, एवं Plantation Monitoring System में समय-समय पर की जावे।
- (19) वनमंडलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- (20) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुये कार्य किया जावे।
- (21) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो को मान्य किया जावेगा।
- (22) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी को भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।
- (23) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.20 द्वारा दिग्ग गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- (24) कूपों में उपचार कार्य Monitoable Indicator का Basline data तैयार किया जाकर कार्य करावें।
- (25) वृक्षारोपण स्थल का फेंसिंग से क्लोजर पूर्ण होना चाहिये।
- (26) भू-जल संरक्षण कार्य अंतर्गत यदि कोई नाला इसी कूप के अंदर से शुरू होता है तो उसमें लगातार चैक डैम बनाया जाय। यदि कोई नाला का उद्गम इस क्षेत्र के बाहर है परंतु कूप के अंदर से गुजर रहा है एवं नाले के प्रारंभ में विगत वर्ष/वर्षों में चैक डैम बने हो तो लगातार चैक डैम बनाया जावे। यदि नाले का प्रारंभ कूप के बाहर है परंतु उसके प्रारंभ से चैक डैम नहीं बनते आ रहे हैं तो ऐसे नाले में चैक डैम नाले के बीच में नहीं बनाये जावे। इन्ही शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (27) प्रोजेक्ट में प्रस्तावित अन्य व्यय से केवल वानिकी से संबंधित हि कार्य मान्य होंगे। स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर मशनरी संबंधी व्यय अमान्य होंगे।
- (28) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
कार्यों के क्रियान्वयन में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु यदि कोई भ्रांति हो तो इस कार्यालय/मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जायें।
उपरोक्त निर्देशों के पालन में विचलन होने की दशा में तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(के. के. भारद्वाज)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं पदेन वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

पृ०क्रमांक/माचि/७८८७
प्रतिलिपि:-

छिंदवाड़ा दिनांक

9 JUL 2022

वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमण्डल छिंदवाड़ा की ओर आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- अनुमोदित प्राक्कलन।

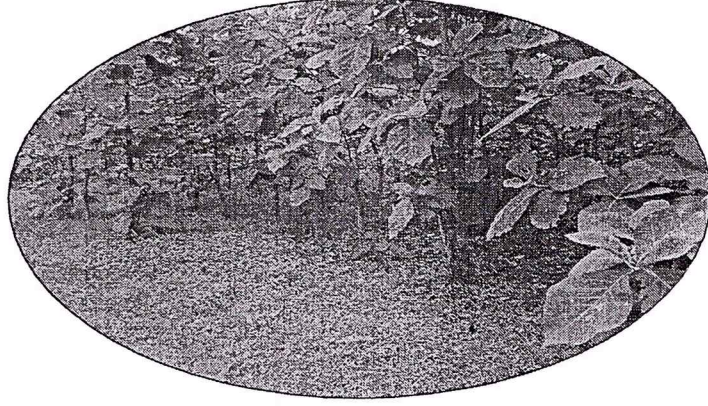
परिक्षेत्र का नाम	योजना/कार्य का नाम	कार्यस्थल का नाम/कक्ष क्रमांक	रोपण क्षेत्र (हे.)	प्रोजेक्ट की अवधि	प्राक्कलित राशि (लाख में)
परासिया	महादेवपुरी भूमिगत कोयला खदान रकबा 166.41 हे. भूमिगत कोयला खदान में उपरीतल 1.832 हे. के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 4.00 हे. भूमि परासिया वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 721 बी में 4.00 हे. की प्रोजेक्ट रिपोर्ट	परासिया वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी 721 बी में 4.00 हे. जिला छिंदवाड़ा	4.00	11 वर्ष	42.75 (ब्यालिस लाख पचहत्तर हजार रु.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं पदेन वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



वैकल्पिक वृक्षारोपण

(योजना क्षतिपूर्ति वनीकरण मद) प्रोजेक्ट

वन परिसर	—	परासिया
उपवनपरिक्षेत्र	—	परासिया
कक्ष क्रमांक	—	पी 721बी
रकबा	—	4.000 हे
वन परिक्षेत्र	—	परासिया (सा.)
उपवनमंडल	—	परासिया (सा.)

पश्चिम छिन्दवाड़ा वन मंडल (सा.)
वन वृत्त छिन्दवाड़ा (म. प्र.)

स्थल उपयुक्तता प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा दिनांक 12.08.2021 को वर्ष 2020-21 में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपवन परिक्षेत्र परासिया के वन परिसर परासिया में कक्ष 721 की रकबा 4.0 हे. में वृक्षारोपण क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया।


वनपरिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र परासिया (सा.)


वनपरिक्षेत्राधिकारी
परियोजना निष्पादन विभाग, वन विभाग, चित्तूर जिला

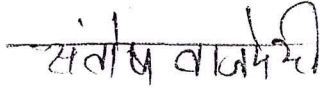
वन सुरक्षा समिति खमराजेठू

समिति संकल्प

ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति खमराजेठू के अध्यक्ष, सदस्यों एवं अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में दिनांक 11.08.2021 को स्थल खमराजेठू पर बैठक कर वनों की सुरक्षा पर चर्चा कर निम्न संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

- समिति द्वारा संकल्प लिया गया कि समिति को आवंटित वनक्षेत्र की पूर्ण रूप से सुरक्षा समिति के द्वारा की जावेगी।
- वर्ष 2021-22 में उपचारित होने वाले वनक्षेत्र की चराई, अवैध कटाई एवं अग्नि से सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।
- वनक्षेत्र में विचरण कर रहे वन्यप्राणियों की, उनके रहवासों की सुरक्षा की जावेगी।
- पूर्व के हुये कार्य एवं इस वर्ष किये जा रहे कार्यों का रखरखाव समिति द्वारा किया जावेगा।
- वनोपज का उपयोग समिति के द्वारा तय अनुसार किया जावेगा एवं उपराचति होने वाले क्षेत्र से पृथक रखा जावेगा।


सचिव
जे. सुल. वेष्टवती
ग्रा.व.स./व.सु.स.
खमराजेठू


अध्यक्ष
ग्रा.व.स./व.सु.स.
खमराजेठू

भाग — 1

प्रारंभिक प्रतिवेदन

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनान्तर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु परियोजना प्रतिवेदन का प्रारूप

भाग-1

1	बजट हेड एवं योजना का नाम	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वृक्षारोपण
2	वनमण्डल	पश्चिम छिन्दवाडा सामान्य वनमण्डल
3	परिक्षेत्र	परासिया
4	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	परासिया
5	परिसर (बीट)	परासिया
6	वन समिति	खमराजेदू
7	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक	65 अंगारिया वनखण्ड - 721 B
8	कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	327.28 हेक्टेयर
9	कार्यवृत्त	- R.D.F.
10	उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी	R.D.F.
11	उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	
12	परियोजना हेतु चयनित क्षेत्र अ. कुल क्षेत्रफल(Gross area)- ब. पुर्नस्थापना हेतु शुद्ध क्षेत्रफल	4 ha
13	रोपण हेतु चयनित स्थल पर पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का विवरण	-

योजना	वर्ष	क्षेत्रफल	प्रजाति	वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति	रिमार्क (क्षतिका कारण)
-	-	-	-	-	-

14 उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक रचना

ए.	टोपोग्राफी Topography	बिगडावन क्षेत्र (आर.डी.एफ.)
बी.	ढलान Slope (प्रतिशत)	अर्द्ध पहाड़ी एवं समतल
सी.	भू-क्षरण (साधारण, मध्यम, अधिक)	 प्रतिशत
डी.	अ. मिट्टी का प्रकार	सामान्य

	ब. मिट्टी परीक्षण के परिणाम (ट्रायल पिट से सैम्पल एकत्र कर लैब में परीक्षण कराना अनिवार्य है)	
ई.	नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टेयर)	 हेक्टर
एफ.	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टेयर)	 हेक्टर
जी.	पथरीली मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टेयर)	0 हे.
एच.	चट्टानी क्षेत्र (हेक्टेयर)	निरंक
आई.	औसत वार्षिक वर्षा	27 से 30 सेमी

15. वनावरण का विवरण

ए. जड़ भंडार की स्थिति

प्रजाति	बहुल पीके (दो से अधिक) वाले पौधों की संख्या	टूठ/पोलार्ड/विकृत वृक्षों की संख्या (गोलाई वर्ग से.मी. में)			
		21 से 30	31 से 45	46 से 60	61 से 90
सागौन	—	—	—	—	0
अन्य	—	—	—	—	0
योग—					

बी.	साईट क्वालिटी	—	IVb
सी.	घनत्व	—	0.4 एवं उससे कम
डी.	पूर्णतः खूला क्षेत्र	—	0 हे.
ई.	लैण्टाना		
	अ. सघन	—	03 हे.
	ब. मध्यम	—	0 हे.
	स. विरल	—	01 हे.

एफ.	चारागाह विकास योग्य क्षेत्र	—	हे.
-----	-----------------------------	---	-----

जी.	बिगड़े/विकृत बांस के भिरे (संख्या)	—	
-----	------------------------------------	---	--

एच. जैविक दवाब की स्थिति

प्रकार	जैविक दवाब की श्रेणी		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	—	हां	
पालतू मवेशी	—	हां	—
मानव	—	हां	—

16. योजना का उद्देश्य—

1	पारिस्थिकीय सुधार हेतु वनावरण में वृद्धि करना।
2	जैव विविधता संरक्षण एवं कार्बन अवशोषण में वृद्धि।

3	भू-जल संरक्षण
4	स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं का सुदृढीकरण
5	दूरदराज के गरीबस्थानीय समुदायों को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना।

17. उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

ए. बहुलपीके (दो से अधिक) वाले पौधों में पीका एकलीकरण

20 सेमी. से ऊपर के टूट/पोलार्ड/विकृत वृक्षों का कटबैक (संख्या)

बी. वृक्षारोपण योग्य शुद्ध क्षेत्रफल अ-गैप 00 हे.

ब- खुला क्षेत्र 04 हे.

सी. रूट-शूट रोपण हेतु क्षेत्रफल अ-गैप 00 हे.

ब- खुला क्षेत्र 00 हे.

डी. बांस रोपण हेतु क्षेत्रफल अ-गैप 00 हे.

ब- खुला क्षेत्र 00 हे.

डी. बीज रोपण अ. लाइन में- कि.मी.

ब. ब्लॉक में- हे.

ई भू-संरक्षण कार्य अ- कंटूर ट्रेंच साइज - संख्या -

(विस्तृत योजना संलग्न है)

ब- चेक डैम संख्या - 0 आयतन -0 घ.मी

स-रिंग ट्रेंच साइज - संख्या -

द-अन्य संरचनायें साइज - संख्या -

एफ. लैन्टाना उन्मूलन - 5 हे.

जी. रोपण कार्य

क्रमांक	प्रजाति	गड्ढा साइज	अन्तराल	पौधों की संख्या
1				4000
		योग		

18 -सिंचाई का विवरण(सिंचित वृक्षारोपण हेतु)

ए. सिंचाई का तरीका - निरंक

बी. जल स्रोत -नदी/नाला/तालाब - निरंक

सी. वृक्षारोपण से जल स्रोत की दूरी - निरंक

19- प्रति हेक्टेयर प्राप्त होने वाले पौधों की संख्या

ए. सी.बी.ओ./पीका एकलीकरण से प्राप्त होने वाले पौधों की संख्या - निरंक

बी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	— 4000
योग	— 4000
20 योजना की अवधि	— 2021-22 से 2031-32
21 अ. योजना पर होने वाला संभावित व्यय (विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है)	— 4860302.00 4274782
ब. प्रति हेक्टेयर व्यय	— 4215075.00 1068695.
22 राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक	—
अ. परिक्षेत्राधिकारी द्वारा	— 12.08.2021
ब. उपवनमंडलाधिकारी द्वारा	—
स. वनमंडलाधिकारी द्वारा	—
23 योजनाअवधि के उपरान्त प्रस्तावित भावी प्रबंधन योजना वृक्षारोपण/बिगड़े वनों के सुधार/बिगड़े बांस वनों का सुधार कार्य की स्थापना के उपरांत प्रबन्धन के लिये ग्राम वन समितियों की पूर्ण भागीदारी से कार्य आयोजना में किये गये प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म प्रबन्धन योजना बनायी जावेगी। सूक्ष्म प्रबन्धन योजना के प्रमुख सोपान निम्नानुसार है :- 1-छठवे वर्षसफाई : इस सफाई कार्य में एकलीकरण एवं साफ सफाई कार्य किया जायेगा। प्राप्त वनोपज पर समिति का अधिकार रहेगा। 2-ग्यारहवे वर्ष : सगरिया सूत्र के अनुसार विरलन किया जायेगा। विरलन से प्राप्त वनोपज पर समिति का अधिकार होगा। 3-बांस का प्रबंधन 4 वर्षीय विदोहनचक्र या समिति के निर्णयानुसार किया जावेगा।	
24 ए. वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु समिति का संकल्प लिया गया है समिति का संकल्प दिनांक 11/08/21 को पारित किया गया है।	— हां
25 पुनरीक्षित सन्निधि (स्केल 1:15000) मानचित्र संलग्न है	—हां (संलग्न-1)
26 लोकेशन मैप (स्केल 1:15000) / जियो मैप संलग्न है	—हां (संलग्न-2)
27 उपचार मानचित्र (showing blown up project area and detailed treatment) संलग्न है	—हां (संलग्न-3)
28 भू-जलसंरक्षण की योजना संलग्न है	—हां (संलग्न-4)

क्र.	उद्देश्य	मापन के सूचकांक	मापनकातरीका
1	पारिस्थिकीय सुधार हेतु वनावरण में वृद्धि करना।	1. रोपितपौधों की उत्तर जीविता का प्रतिशत। 2. प्रतिहे. सी.बी.ओ. एवं प्राकृतिक पुनरुत्पादन से प्राप्तपौधे।	1. वृक्षारोपण अनुश्रवण व प्रणाली में प्रविष्टि एवं फोटोग्राफ्स। 2. वृक्षारोपण अनुश्रवण प्रणाली।
2	जैव विविधता संरक्षण एवं कार्बन अवशोषण में वृद्धि।	1. जैव विविधता सूचकांक 2. वानस्पतिक वृद्धि से कार्बन अवशोषण की मात्रा का आंकलन।	1. सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन।
3	भू-जलसंरक्षण	1. हरित आवरण में वृद्धि 2. भू-जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण 3. भू-जलस्तर में सुधार	1. उद्देश्य क्रमांक 1 के अनुसार 2. संरचनाओं का विवरण 3. आसपास के कुँओंमेंजलस्तर के मापन से
4	स्थानीय समुदायों की आजीविकाओंकासुदृढीकरण	1. छोटी ईमारती, बांस की उपलब्धता 2. चारे की उपलब्धता 3. लघुवनोपज की उपलब्धता 4. जल की उपलब्धता	1. समिति के विदोहन एवं विवरण रजिस्टर 2. समिति का चारा संग्रहण रजिस्टर 3. समिति का लघुवनोपज प्रबंधन प्रणाली
5	दूरदराज के गरीब स्थानीय समुदायों को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना।	1. सृजित मानव दिवस	समितियों एवं वनविभाग के रिकार्ड

30 कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न है

-हां (संलग्न-5)

(कार्यपूर्णताप्रमाण पत्र कार्य समाप्ति उपरांत प्रस्तुत किया जायेगा)

31 अन्य विवरण-

जी. पी. एस.	अक्षांश	देशान्तर
उत्तर	22 10 45.33	78 44 28.03
दक्षिण	22 10 34.86	78 44 30.77
पूर्व	22 10 45.28	78 44 29.03
पश्चिम	22 10 33.76	78 44 23.27

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलउपवनमंडलाधिकारी
परासिया (सा.) उपवनमंडलवनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र परासिया (सा.)

भाग — 2

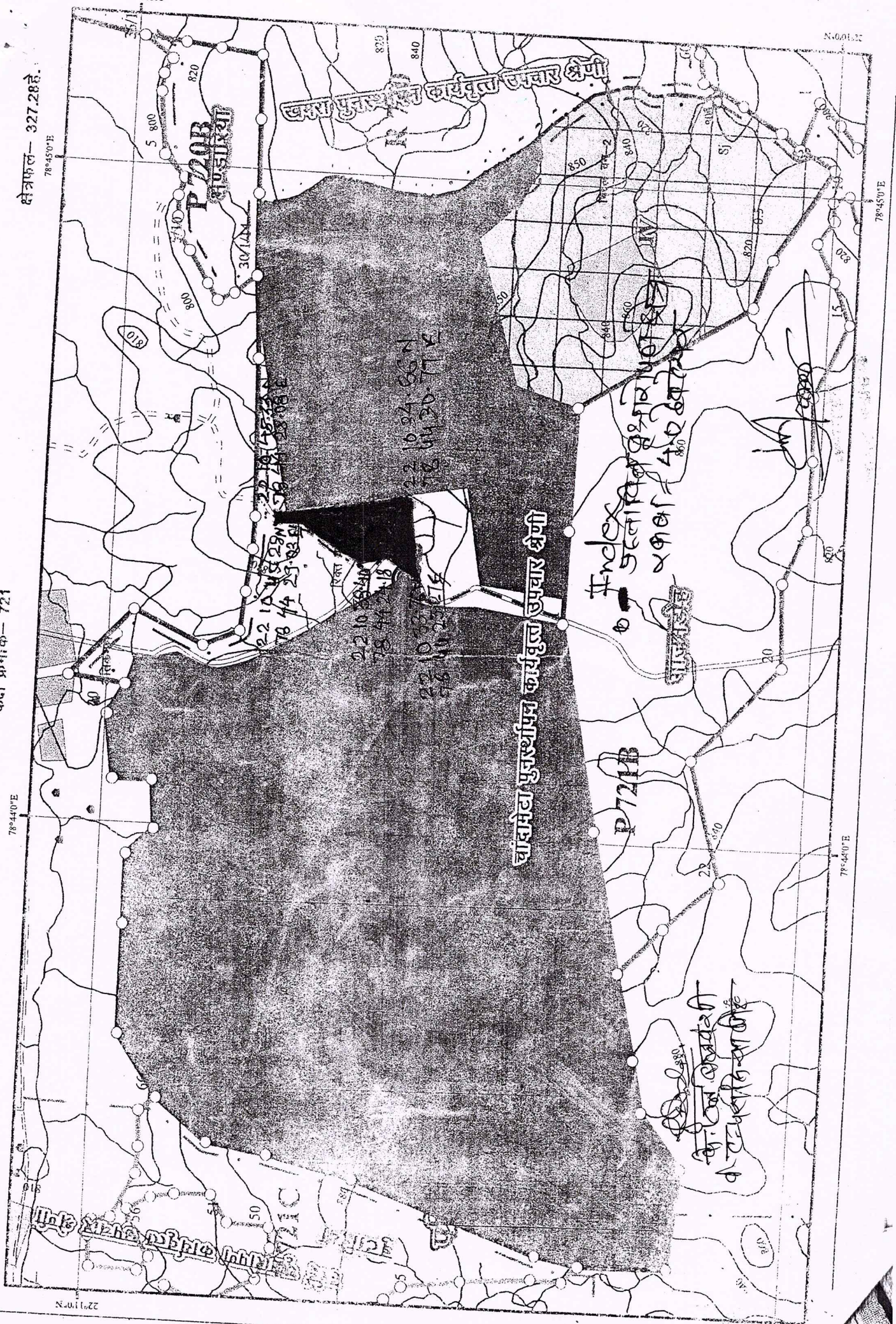
वित्तीय प्राक्कलन

Illegible Ab 1829 1829

परिचयम् छिन्दवाङ्। सामान्य वनमण्डल

कक्ष क्रमांक- 721

३२७.२८६.



क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
वैकल्पिक वृक्षारोपण कक्ष पी 721बी रकबा 4 हे रोपण क्षेत्र 4 हे.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	4	ha	0.45	हे०	2	632	जॉबदर
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	4	ha	4.00	प्रति हे०	16	5616	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	2	ha	12.50	प्रति हेक्ट	25	8775	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	750	Rmt	2.4	Rmt	1800	631800	गणना के आधार पर
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	4000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	10	3510	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या						0	
	45x45x45 cm.	4000	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	200	70200	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	109.35	घ०मी०	1.5	घ०मी०	164	57573	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	54.675	घ०मी०	3	घ०मी०	164	57573	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	4000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	60	21060	जॉबदर
11	1 हट निर्माण		L.S.			30	10530	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					40	14040	अनुमानित
	योग					2511	881308	
13	भू-जल संरक्षण कार्य कुल कार्य का 5 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	0	0	अनुमानित
	कुल योग					2511	881308	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
गरासिया वनपरिक्षेत्र

योजना का द्वितीय वर्ष

351

वै क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य						0	335
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	4000	पौधा	10	10 / प्रति पौधा	960	310000	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	800	पौधा	10	पौधा	25	8000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)	4					0	
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	4400	4400 पौधे	1.5	सैकड़ा	66	23166	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4400	4400 पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	17.6	6178	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	2	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	16	5616	जॉबदर
4	रोपण						0	
	45x45x45 cm.	4000	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	72	25272	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						0	
	पौधों में	4000	गड्डे	1.25	100	50	17550	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						0	
	पौधों में	4000	गड्डे	1	100	40	14040	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	4000	गड्डे	1	100	40	14040	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	24	8424	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	94770	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	4000			Lumsum	50	17550	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि)					30	10530	अनुमानित
					योग:-	1670	558519	

परामर्शदाताधिकारी
परामर्शदाता

योजना का तृतीय वर्ष

351

वै का	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	400	पौ	10	10 / प्रति पौधा	12	4000	351
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	400	पौ	1.5	प्रति सैकड़ा	6	2106	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	400	पौ	0.4	प्रति सैकड़ा	1.6	561.6	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	100		0.16	प्रति रमी	16	5616	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	4000	गड्डे	1.25	प्रति सैकड़ा	50	17550	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	4000	गड्डे	1	प्रति सैकड़ा	40	14040	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	4000	गड्डे	1	प्रति सैकड़ा	40	14040	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	24	8424	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			360	126360	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	4000	गड्डे		Lumsum	50	17550	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि)					30	10530	अनुमानित
योग:-						640	224161	


 वनपरिक्षेत्राधिकारी
 बराबिका वनपरिक्षेत्र

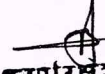
योजना का चतुर्थ वर्ष

351

वै	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	400	पौधा	10	10 / प्रति पौधा	12	4000	335
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	बाजार दर
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	400		1.5	प्रति सैकड़ा	6	2106	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	400		0.4	प्रति सैकड़ा	2	562	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	4000		1.25	प्रति सैकड़ा	50	17550	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						0	
	पौधों में	4000		1	प्रति सैकड़ा	40	14040	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	126360	अनुमानित
7	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	400	गड्डे		Lumsum	50	17550	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					30	10530	अनुमानित
योग:-						560	196081	


 जलपरिक्षेत्राधिकारी
 कृषि विभाग, बरधमपुर

वैक ल्प	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					80	28080	335
2	प्रथम निंदाई						0	
	पौधों में	4000	पौ	1.25	1.25 / 100	50	17550	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	3.35 / किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	2.25 / किमी	5	1737	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	1	12 माह			360	120600	अनुमानित
8	अन्य व्यय					30	10530	अनुमानित
	योग:-					530	180144	


 बनपरिक्षेत्राधिकारी
 बरासिया बनपरिक्षेत्र

योजना का षष्ठम वर्ष

721बी रकवा 4 हे रोपण क्षेत्र 4 हे.

351

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	4690	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक	1	12 माह			360	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय	1				30	10530	अनुमानित
	योग:-	900				400	140274	

योजना का सप्तम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					30	10530	अनुमानित
	योग:-					400	140274	

परामर्शदाता/प्रशासक
परामर्शदाता/प्रशासक

योजना का अष्टम वर्ष

351

वै क	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							351
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					30	10530	अनुमानित
	योग:-					400	140274	

0

योजना का नवम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					30	10530	अनुमानित
	योग:-					400	140274	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
बरासिया वनपरिक्षेत्र

योजना का दशम वर्ष

351

वै क	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							351
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक	1	12 माह			360	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					30	10530	अनुमानित
	योग:-	4				400	140274	

900

0

योजना का ग्यारवां वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	1400	mtr	3.35	किमी	5	1646	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2200	mtr	2.25	किमी	5	1737	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					30	10530	अनुमानित
	योग:-					400	140274	

वन मंडल अधिकारी
परिचय सिंदवाड़ा (सा.) वन मंडल

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिसिंधा वनपरिक्षेत्र

गोश्वारा, आदर्श रोपण
कक्ष पी 721बी रकवा 4 हे.

वैवर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	राशि	प्रस्तावित मानव दिवस	वृद्धि दर सहित राशि
प्रथम	2511	1	881308	2511	881308
द्वितीय	1670	1.06	558519	1770	621251
तृतीय	640	1.1236	224161	719	252257
चतुर्थ	560	1.191	196081	667	233946
पंचम	530	1.2625	180144	669	234703
षष्ठम	400	1.3382	140274	535	187714
सप्तम	400	1.4185	140274	567	198978
अष्ठम	400	1.504	140274	601	210972
नवम	400	1.594	140274	637	223596
दशम	400	1.69	140274	675	237062
ग्यारवां	400	1.79	140274	715	251090
कुल योग			2881856	10065	3532878
कुल राशि					3532878
आस्थामूलक कार्य (राशि का 5 प्रतिशत) कुल योग राशि का					176644
मानव संसाधन विकास कार्य (राशि का 1 प्रतिशत) कुल योग राशि का					35329
मूल्यांकन / अनुश्रवण राशि (राशि का 4 प्रतिशत) कुल योग राशि का					141315
योग					3886166
पर्यवेक्षण शुल्क कुल राशि का 10 प्रतिशत					388617
महायोग :-					4274782

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

उपवनमंडलाधिकारी
परासिया उपवनमंडल सा.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परासिया वनपरिक्षेत्र सा.